न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 13 / 2021 (राजसमन्द डिक्री)

महीपाल सिंह पिता जालमसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सेण्डखेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी चम्पानाथ जी, जाति नाथ, निवासी सेण्डखेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. महेन्द्र नाथ पिता चम्पानाथ जी, जाति नाथ, निवासी सेण्डखेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती चांदी पत्नी हजारी जी, जाति कलाल, निवासी घाटी, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. देवा पिता हजारी जी, जाति कलाल, निवासी घाटी, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
5. शान्तिलाल पिता हजारी जी, जाति कलाल, निवासी घाटी, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती प्रेमिला पिता हजारी जी, जाति कलाल, निवासी घाटी, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
7. शंकरसिंह पिता केसरसिंह जी रावत, निवासी घाटी, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ दिनांक
20–06–2016 प्रकरण संख्या 8/2015

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री रामलाल मेघवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रे. सं. 1 व 2
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 27–09–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम [illegible] में आराजी नंबर 15 रकबा 40 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:28 IST
Reason: SelfAttested

1 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात में वादिया का कुलिया रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा 10 बिश्वांसी होकर मालिक काबिज है। प्रतिवादीगण का हिस्सा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज हैं, किन्तु भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होने से वादिया विधिवत विभाजन करवाना चाहती है। अतः उक्त आराजी का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग–अलग अंकन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20–06–2016 से वादिया का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03–08–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के अपीलान्ट ने साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से दफा 5 जाब्ता मियाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादिया ने सिर्फ विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था, जिसमें लोक अदालत में पत्रावली प्रस्तुत होने पर अपीलान्ट मौजूद था तथा उनकी उपस्थित में बंटवारा करने हेतु निवेदन किया एवं उसी आधार पर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 23–06–2017 को अंतिम डिक्री भी जारी हो चुकी है, जिसके आधार पर खाते अलग अलग किये जाकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र दिनांक 15–03–2019 को प्रस्तुत किये जाने पर अपीलान्ट मौके पर दिनांक 04–07–2020 को उपस्थित हुए एवं हस्ताक्षर किये तथा अपीलान्ट के सामने पत्थरगढ़ी की गयी। अपील लगभग 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इतने लम्बे विलम्ब का कोई ठोस कारण अपीलान्ट ने नहीं बताया [illegible] प्रा[illegible]/अपीलान्ट ने जानबूझकर अपील देरी से प्रस्तुत की है, जो बे[illegible] होने से [illegible] स्तर पर खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:28 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20–06–2016 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में 60 दिवस अर्थात दिनांक 19–08–2016 तक प्रस्तुत हो जानी थी, जबकि अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 03–08–2021 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण बताया है, वह न तो उचित कारण प्रतीत होता है, न ही इतनी लम्बी अवधि के लिए पर्याप्त कारण हैं, जबकि प्रकरण में दिनांक 23–06–2017 को अंतिम डिक्री भी जारी की जा चुकी है, जिसकी भी किसी प्रकार की अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा 5 वर्ष के विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं बतया है, जबकि देरी के मामले में प्रत्येक दिन की देरी का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। जैसाकि अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.बी.जे. (17) 2010 पेज 289, आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 939, आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 788, 2017 (2) सिविल टाईम्स (राज.) पेज 732 में प्रतिपादित सिद्धान्तों से स्पष्ट है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–06–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:28 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

महीपाल सिंह पिता जालमसिंह जी राजपूत, निवासी सेण्डखेडा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द बनाम **श्रीमती निर्मला देवी पत्नी चम्पानाथ, जाति नाथ, नि. सेण्डखेडा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**13 / 2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**देवगढ़**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**20**.....माह.....**06**.....**2016**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**27**.....माह.....**09**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री रामलाल मेघवाल**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री संजय बोहरा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–06–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**27**.....माह.....**09**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:28 IST
Reason: SelfAttested